राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(5)न्याय/2018 जयपुर, दिनांक 5. 2. 2021

::आज्ञा::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियमों के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.10.2018 को आयोजित की गई। श्री सूर्य प्रकाश दौसाया, सहायक विधि परामर्शी (क्रम संख्या 7) के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति हेतु अभिशंसा को बन्द लिफाफे में रखा गया। कार्मिक विभाग ने अपने आदेश क्रमांक प.1(24)कार्मिक/क–3/जांच/2015 दिनांक 22.01.2021 से इस जांच में अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किये जाने का आदेश जारी किया है।

श्री सूर्य प्रकाश दौसाया, सहायक विधि परामर्शी के विरूद्ध उक्त विचाराधीन जांच में दोषमुक्त होने की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के बन्द लिफाफे को खोला गया तथा विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार श्री दौसाया को वर्ष 2018–19 में दिनांक 01.04.2018 की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर उप विधि परामर्शी के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नत किया जाता है। श्री दौसाया की वरिष्ठता श्री भगवत प्रसाद बोहरा के नीचे रहेगी।

श्री सूर्य प्रकाश दौसाया, सेवानिवृत सहायक विधि परामर्शी का उप विधि परामर्शी के पद पर पदोन्नति पर वेतनमान PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) L-18 में दिनांक 01.04.2018 की रिक्तियों के विरूद्ध वेतन निर्धारण नोशनल आधार पर देय होगा।

आज्ञा से

5.2.2021

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. श्री सूर्य प्रकाश दौसाया, सहायक विधि परामर्शी ।
4. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

5.2.2021

(पुरूषोत्तम लाल सैनी)
संयुक्त शासन सचिव

D:\VINOD 2015\VINOD BAIRWA\ORDER-2018.docx